राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी प्रथम अपील वाद
संख्या–95 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री वनमाली, पिता–स्व. देवेन्द्र प्र. चौधरी, ग्रा.–दरियापुर कफेन, था.–कुढ़नी, जिला–मुजफ्फरपुर

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.10.2023	श्री वनमाली, पिता–स्व. देवेन्द्र प्र. चौधरी, ग्रा.–दरियापुर कफेन, था.–कुढ़नी, जिला–मुजफ्फरपुर के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–19.10.2023 इस कार्यालय में दिनांक–27.10.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में दो रूपए का पॉच पोस्टल ऑर्डर संख्या–5B 0J5781 से 5B 0J5785 दिनांक–05.10.2023 संलग्न है। अपीलकर्त्ता श्री वनमाली ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–अस्पष्ट को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल सचिवालय, बिहार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा प्रथम अपील वाद संख्या–1437 में दिनांक–20.07.2023 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न की है। उपर्युक्त के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी श्री वनमाली द्वारा प्रश्नगत मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकार बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के समक्ष दायर किया था तथा वहॉ से आदेश भी पारित हुआ है। अतः प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विरूद्ध द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष ही अपील दायर किया जा सकता है, जो कुलाधिपति अथवा माननीय राज्यपाल महोदय नहीं है। बिहार राज्य के लिए द्वितीय अपीलीय प्राधिकार राज्य सूचना आयोग, बिहार है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह अपील गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किये जाने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। 27/10/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक-1687/रा0स0(सू0)   दिनांक-30-10-2023

प्रतिलिपि-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री वनमाली, पिता-स्व. देवेन्द्र प्र. चौधरी, ग्रा.-दरियापुर कफेन, था.-कुढ़नी, जिला-मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/10/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी